महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–जी0आई–205 / अड़तीस–5–13–27 (भाग) / 12

प्रेषक,

राकेश कुमार ओझा
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2013

ग्राम्य विकास अनुभाग–5

विषय:–विश्व बैंक सहायतित पेयजल परियोजना के डी0पी0आर0 की तैयारी तथा परियोजना का क्रियान्वयन ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विश्व बैंक की ग्रामीण पेयजल परियोजना को क्रियान्वित करने वाले चार राज्यों के प्रमुख सचिवों को संबोधित निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–डब्ल्यू0 / 1103 / 03 / 2011–वाटर दिनांक 02.07.2013 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ई–प्राक्योरमेंट प्रणाली को अनिवार्य रूप से (Mandatory) लागू किये जाने से संबंधित है।

2– परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन तथा सीमित समय को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से तत्काल सम्पर्क करते हुए ई–प्राक्योरमेंट हेतु इनरोलमेंट प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का अनुरोध किया गया है। एन0आई0सी0 के ई–प्राक्योरमेंट माड्यूल का उपयोग करने वाले विभाग सेण्ट्रल पब्लिक प्राक्योरमेंट पोर्टल (सी0पी0पी0पी0) में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे। इस हेतु संदर्भित पत्र में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया गये हैं :–

(1) नोडल अधिकारी का नामांकन / चयन।
(2) सी0पी0पी0 पोर्टल पर मैपिंग हेतु विभागीय स्तरों का निर्धारण।
(3) प्रयोगकर्ता संस्था के अधिकारियों हेतु यूजर एकाउण्ट का सृजन।
(4) डिजिटल सिगनेचर सर्टीफिकेट प्राप्त किया जाना।
(5) प्रयोगकर्ता संस्था में सृजित सभी यूजर एकाउण्ट के डिजिटल सिगनेचर सर्टीफिकेट की मैपिंग।

3– भारत सरकार द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध सीमित समय के दृष्टिगत एन0आई0सी0 के ई–प्राक्योरमेंट माड्यूल की पूर्व शर्तों को पूर्ण करने हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है। इस हेतु एन0आई0सी0 द्वारा तैयार ई–प्राक्योरमेंट माड्यूल के दिशा निर्देशों की प्रति भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की गयी है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में एन0आई0सी0 के ई–प्राक्योरमेंट सिस्टम को राज्यों द्वारा अंगीकृत किये जाने में सहयोग हेतु 3 विशेषज्ञो की उपलब्धता से अवगत कराते हुए इनका उपयोग राज्यों द्वारा ई–प्राक्योरमेंट प्रणाली के क्रियान्वयन तथा प्रयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु किये जाने का अनुरोध किया है।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के

संदर्भित पत्र दिनांक 02.07.2013 से ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली लागू करने के संबंध में उल्लिखित निर्देशों का अति शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि विश्व बैंक परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
सचिव।

संख्या–जी0आई–205(1)/अड़तीस–5–13, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।